न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 09/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही		1. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर सिरोही 2. तहसीलदर सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 5.11.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2014 महेन्द्रसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली नियत करने पर अपीलाण्ट को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त होने पर अपीलाण्ट कैम्प में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, जिस पर अपीलाण्ट के खाली आदेशिका में हस्ताक्षर करवाए गए, उसके पश्चात अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित कर वाद को खारिज कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त है, जिसके कारण अपीलाण्ट विधि अनुसार खातेदार बन चुका है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का आवासीय मकान बना हुआ है तथा शेष भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो खारिज़ योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण को विड्रो कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज़ योग्य है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में जहां तक मियाद का प्रश्न है, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 814 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " When a person signs a document, there is a presumption, unless there is proof of force or fraud, that he has read the document properly and understood it and only then he has affixed his signatures thereon, otherwise no signature on a document can ever be accepted " जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2010 को पारित की गई है तथा निर्णय पारित होने के सात वर्ष पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है। उक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें जैर अपील आदेश की जानकारी अपीलाण्ट का कब हुई, यह अंकित ही नहीं है, जिससे कि अपील प्रस्तुत करने की अवधि के सम्बन्ध में संगणना की जा सके। हालांकि यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व लोक अदालत में वाद को विड्रो करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश पारित होने के समय से ही उक्त आदेश की जानकारी थी। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा मनगढन्त तथ्य अंकित करते हुए परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने का अनुतोष चाहा है। इसके अतिरिक्त यदि गुणावगुण पर भी देखा जाए तो स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को विड्रो किया गया है, जिसके कारण वाद चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये खारिज़ किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 5.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही